अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सीताराम रावत श्री नवीन गुर्जर 01	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

आयचुकी बनाम खजानसिंह वगैरह (2025/333)

15.01.2026 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र वास्ते प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 19.01.2026 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

19.01.2026 पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 15.01.2026 को प्रार्थना पत्र वास्ते प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर सुना गया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र वास्ते प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के विरूद्ध पूर्व में भी हाजा न्यायालय के समक्ष एक अपील संख्या 298/2023 प्रस्तुत की गई थी जिस पर सुनवाई कर हाजा न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.05.2023 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने के आदेश दिनांक 06.10.2023 को पारित किये गये।

यह कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण द्वारा एक निगरानी संख्या 5686/2023 माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर सुनवाई कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 26.10.2023 को हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2023 को निरस्त कर वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये थे।

यह कि रूल ऑफ मर्जर के विधिक सिद्धान्त के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 26.10.2023 में मर्ज हो गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.05.2023 के विरूद्ध अपील के माध्यम से हाजा न्यायालय के समक्ष चाराजोही नहीं की जा सकती।

अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त उनवानीअपील को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उभयपक्ष को दिनांक 03.11.2023 पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया था तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 15 दिवस में निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु आज दिवस तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे उक्त अपील प्रस्तुत की गई है अतः प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज किया जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में 29.09.2023 को अपील प्रस्तुत की गई थी उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा 06.10.2023 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थगित कर 2 सप्ताह में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

[illegible]

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

533/2025/225 आमचुकी v/s स्वजानसिंह

लगातार....

गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया था। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या टीए/5686/2023 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2023 के द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 को अपास्त करते हुए मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्ष को पाबंद कर 15 दिवस में निस्तारण करने हेतु आदेशित किया गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 2023/298 में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपास्त किया जा चुका है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 के विरूद्ध पुनः अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 26.10.2023 में मर्ज हो गया अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील रूल ऑफ मर्जर के सिद्धान्त के अनुसार पोषणीय नहीं है।

अतः रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट इसी स्तर पर सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय,अजमेर (राज.)

-00-

अपील संख्या 333 / 2025 जिला अजमेर

-00-

1. आयचुकी पत्नि दयाल जाति रेगर
2. इन्द्रा पुत्री चौथू जाति रेगर
3. काना पुत्र दयाल जाति रेगर
4. गीता पत्नि चौथू जाति रेगर
5. बबलू पुत्र चौथू जाति रेगर
6. लक्ष्मण पुत्र चौथू जाति रेगर
7. सोनू पुत्र चौथू जाति रेगर निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर

अपीलार्थीगण / अप्रार्थीगण

बनाम

1. खजान सिंह पुत्र कानसिह उर्फ भंवरसिंह पौत्र रामसिह परपौत्र जसवंतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
2. रामसिह पुत्र जसवंतसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
3. प्रभू पुत्र भैरू जाति बैरवा निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर
4. दी मैनेजर आरिएन्टल बैंक आफ कामर्स शाखा सनोद जिला अजमेंर
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टगण

6. कानसिह उर्फ भंवरसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत
7. कैलाशकंवर पत्नि कानसिंह उर्फ भंवरसिंह जाति राजपूत
8. श्रवण पुत्र कानसिह उर्फ भंवरसिंह जाति राजपूत
9. सुरेन्द्र पुत्र कानसिह उर्फ भंवरसिंह जाति राजपूत

Scanned with CamScanner

10.कृष्णा पुत्र कानसिह उर्फ भंवरसिंह जाति राजपूत समस्त निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेंर

परफोर्मा रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2023 उनवान खजानसिंह बनाम रामसिंह व अन्य प्रकरण संख्या 61/2023 के विरूद्ध बाबत

श्रीमानजी,

माननीय न्यायालय से अपीलार्थी की ओर निम्न निवेदन है कि:—

1. यह कि अधिनस्त न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92 अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एंव परफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी भूमि वाकै मौजा ग्राम देराठू पटवार हल्का देराठू भू.अ.नि. देराठू तहसील नसीराबाद के चौसाला खसरा नम्बर 2040 रकबा 6—11—10 के वर्किंग खसरा नम्बर 2034 रकबा 6—9—0 व 2035 रकबा 00—02—10 के हाल खसरा नम्बर 2540 रकबा 0.06, 2544 रकबा 1. 12 व 2539 रकबा 0.04 है एवं उपरोक्त आराजीयात चौसाला जमाबंदी संवत 2025 से 2028 में खाता संख्या 139 खसरा नम्बर 240 प्रार्थी एवं परफोर्मा अप्रार्थीगण की पूर्वजो के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसकी पुष्टी उपरोक्त अधिकार अभिलेख से होती है एवं वर्किंग जमाबंदी बनाते समय बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के उपरोक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 2 से 10 के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से गलत दर्ज रेकार्ड कर दी जिसका कि कानून उन्हे कोई अधिकार नही है जिसकी दूरूस्ती एंव बंटवारा हेतु आज्ञप्ति हेतु उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है एंव

Scanned with CamScanner